

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक 05/अप्रैल-2018

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह मई-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	01.05.18 से 05.05.18
2	पीठ-1, इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	07.05.18 से 11.05.18
3	पीठ- बरेली	पीठ- बरेली	07.05.18 से 11.05.18
4	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	07.05.18 से 11.05.18
5	पीठ- गोरखपुर	पीठ- गोरखपुर	01.05.18 से 05.05.18
6	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	14.05.18 से 19.05.18
7	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	01.05.18 से 05.05.18
8	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	21.05.18 से 26.05.18
9	पीठ- फैजाबाद	पीठ- फैजाबाद	17.05.18 से 19.05.18
10	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	14.05.18 से 19.05.18
11	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	01.05.18 से 05.05.18
12	पीठ- मुजफ्फरनगर	पीठ- मुजफ्फरनगर	21.05.18 से 26.05.18
13	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	07.05.18 से 11.05.18
14	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	28.05.18 से 31.05.18

ह0-05.04.18

(राजेन्द्र कुमार -IV)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/593/2018तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुत्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।